| क्रम0 सं0 | परियोजना का नाम | स्वीकृति का वर्ष | स्वीकृति की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 7. | वादवगढ़ के लिए मिनी बसें | -वही- | 4.06 |
| 8. | शिवपुरी के लिए जीपे | -वही- | 2.02 |
| 9. | कान्हा के लिए मिनि बसें | -वही- | 4.06 |
| 10. | विओरा ( राजगढ़ ) में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं (मोटल) का विकास | -वही- | 18.36 |
| 11. | कंकर (दंतेवाड़ा से शिफ्ट कर दिया गया हैं) में जलपान गृह-व-शौचालय की सुविधाओं का निर्माण | 1988-89 | 12.54 |
| 12. | कवारधा (राजनंद गांव) में मार्गर्स्थ सुख-सुविधाएं | -वही- | 18.36 |
| 13. | चित्रकूट (बस्तर) में जलपान गृह-व-शौचसलय सुविधाओं का निर्माण | -वही- | 12.54 |
| 14. | चंदेरी मे मार्गस्थ सुविधाएं | -वही- | 8.05 |
| 15. | भोरमदेव (राजनंद गांव) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं | -वही- | 3.67 |
| 16. | केररा(मोराना) में मार्गस्थ सुख-सविधाएं | -वही- | 8.05 |
| 17. | वीर सिंह देव पैलेस, दतिया की प्रकाश पुणे व्यवस्था | -वही- | 2.12 |
| 18. | कान्हा नेशनल पार्क के लिए मिनि बसों की खरीद | 1989-90 | 7.03 |
| 19. | खालघाट (धार) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं | -वही- | 14.87 |
| 20. | मिजागावा (पन्ना) में जलपान गृह-व-शौचालय | -वही- | 9.32 |
| 21. | आरेछा (तिहारगढ़)के निकट फिशिंग हट्स | -वही- | 6.44 |
| 22. | दतिया में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं | -वही- | 8.35 |
| | जोड़ः | | 230.46 |

**Enforcement of Prasar Bharati Act**

232. DR. MURLI MANOHAR JOSIHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a memorandum signed by 53 Members of Parliament has been given to the Prime Minister urging him to immediately enforce the Prasar Bharti Act, 1990; if so, what the reaction of Government thereto;

(b) whether earlier to the memorandum referred to above, members had requested Government to expeditiously enforce the said Act and if so, the details of the earlier representations and action taken by Government thereon; and

(c) what is the precise reservation of Government for enforcement of the said Act?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) Yes Sir. The memoranda is essence have laid stress on the urgent need for having an autonomous national broadcasting network.

(c) In Government's assessment certain changes, inter-alia, in the proposed organisational structure of the Corporation are warranted in the Mght of the rapidly changing oroadcasting scenario because of the increased international satellite broadcasting in this

part of the world. The details in tr regard are being finalised.

**संचारण एवं वितरण हानि में कमी**

233. **श्री रामजेठमलानी**:

**श्रीमती सुषमा स्वराज** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के संचरण एवं वितरण हानि में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख)यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में तथा अन्त में कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत संचरण एवं वितरण हानि होने का अनुमान हैं;

(ग)क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रकार की हानि में कमी करने के लिए वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किया था;

(घ)यदि हां, तो क्या ऐसी हानियों में और कमी लायी जा सकी हैं; और

(ड.)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री** ( **श्रीमती उत्तर प्रदेशर्मिला विमनभाई पटेल** ) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों मे कम से कम 01 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में 5 प्रतिशत तक की कुल कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना ( 1991-92 ) की शुरूआत में पारेषण एवं वितरण हानियां 22.83% थी और वर्तमान संकेतों के अनुसार यह लगभग 20% होने की संभावना हैं।

(घ)और (ड.) यह देखा गया है कि देश में विद्यमान विद्युत प्रणाली में, उपयुक्त तकनीकी एंव प्रशासनिक उपायों द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियो में लगभग 10-15% तक की कमी लाई जा सकती हैं। तथापि, चूंकि वितरण संबंधित राज्य बिजली बोडों के अधिकार-क्षेत्र में आता हैं, इसलिए यह निश्चित करने के लिए पारेषण एवं वितरण के दौरान उनकी प्रणाली में किस सीमा तक विद्युत कमी को रोका जा सकता हैं, उन्हें आवश्क कदम उठाने होंगे।

**Assistance Provided by IDBI**

234. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the loan/assistance sanctioned by IDBI together with the recovery in each of the years from 1991 to 1994-95;

(b) the cumulative amount outstanding against loan/assistance during the same period;

(c) what is the amount which had become overdue during the period and the number of parties which had overdue amount exceeding rupees one crore each; and

(d) the name of industrial or other undertakings financed by IDBI where loans advanced have become irrecoverable and what has been done in these cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that the details of assistance sanctioned, outstanding and recovery under its direct finance schemes for each of the financial yean from 1991-